प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 25.09.2024

स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा अन्तर्राज्यीय मोबाईल टावर उपकरण चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार। चोरी के मोबाईल टावर डिवाइस एवं 02 लीथियम जियो टावर बैटरा, 05 बन्डल टावर फाइबर केबल, 4500 रूपये नगद, मोबाईल फोन, चोरी करने के उपकरण व 02 अवैध तमंचा मय 03 जिंदा कारतूस एवं 02 चाकू तथा घटना में प्रयुक्त काले रंग की स्कार्पियो गाडी बरामद।

दिनांक 24.09.2024 को स्वाट टीम पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर गंग नहर पुल थाना क्षेत्र मुरादनगर के पास एनएच-58 से काले रंग की स्कार्पियो गाडी में सवार 04 अन्तर्राज्यीय मोबाईल टावर चोरों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 मोबाईल टावर डिवाइस AZNA तथा 02 टावर लीथियम बैटरा JIO EXICOM कम्पनी एवं 05 बन्डल फाइबर केबल, 01 सब्बल लोहे का, 02 तमंचा 315 मय जिंदा कारतूस, 02 चाकू नाजायज एवं बैटरा चोरी की बिक्री के 4500 नगद रुपये व मोबाईल फोन व टावर चोरी करने के अन्य उपकरण बरामद किए गये तथा गैंग का मुख्य सरगना अभियुक्त आमिर है जिस पर चोरी / लूट / गैंगेस्टर / गुण्डा / आयुध अधिनियम आदि के लगभग एक दर्जन के आसपास अभियोग पंजीकृत हैं तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगणों ने बताया कि हम लोग रवि चौधरी निवासी बन्थला से चोरी करने के लिए अलग-अलग चार पहिया गाडियां लेकर जाते हैं जिसमें हम लोगों ने लखनऊ से 01 मोबाईल टावर AZNA डिवाइस को लगभग 4-5 दिन पहले चोरी किया था तथा लगभग दो माह पहले जनपद मेरठ के सरुरपुर थाना क्षेत्र में स्थित जियो टावर से फाईबर केबल व अन्य सामान चोरी किया था तथा 01 लीथियम बैटरी JIO EXICOM एवं 01 बैटरी VISION राजस्थान के जयपुर से चोरी करना बताया है इसके अतिरिक्त अभियुक्तगणों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी, मुरादनगर, लोनी तथा अन्य जनपद लखनऊ, मथुरा, हाथरस, अलीगढ, कांसगज तथा राजस्थान से करीब 10 से 15 मोबाईल टावरों से चोरी की घटना का इकबाल किया है तथा अभियुक्तगणों ने यह भी बताया कि टावर चोरी का सामान दिल्ली के मुस्तफाबाद निवासी अज्जू नामक कबाड़ी को बेचते हैं। अज्जू कबाड़ी फरार चल रहा है जिसको जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-</u>

1- शोएब उर्फ बिल्लू पुत्र बिलाल निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद। (उम्र-22 वर्ष)

2- आमिर पुत्र शकील निवासी पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद। (उम्र-20 वर्ष)

3- असलम पुत्र रफीक निवासी पुराना चेक पोस्ट अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।(उम्र-23 वर्ष)

4- मुस्तकीम पुत्र मीनू निवासी पुराना चेक पोस्ट अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।(उम्र-22 वर्ष)

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1- एक AZNA डिवाइस मोबाईल टावर, एयरटेल कीमत करीब 04 लाख रुपये
2- दो लीथियम टावर बैटरी, रिलायान्स जियो टावर
3- पांच बन्डल फाइबर केबल, रिलायान्स जियो टावर
4- चोरी करने के उपकरण सब्बल, छोटी बड़ी चाबियां, प्लास आदि
5- 4500 रुपये नगद चोरी के अन्य सामान की ब्रिक्री के
6- दो तमंचा 315 बोर मय जिंदा कारतूस
7- दो चाकू नाजायज
8- एक स्कार्पियो (घटना में प्रयुक्त)
9- एक मोबाईल फोन

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

स्वाट टीम ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा नशीली दवाओं का अवैध कारोबार करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में प्रयुक्त 07 मोबाइल फोन, 02 कम्प्यूटर, 01 प्रिंटर व व भिन्न-भिन्न प्रकार की अवैध नशीली दवाईयाँ बरामद।

आज दिनांक 25.09.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर नशीली दवाईयों का ऑनलाइन अवैध कारोबार करने वाले 02 अभियुक्त 1. जोगिन्द्र सिंह पुत्र मनवीर सिंह निवासी म0न0 175 गली न0 6 बुध विहार नियर रवि स्कूल के पास थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद व 2. अंकुश गोयल पुत्र श्री अनिल कुमार निवासी ए 1/8ए ब्लाक गली न0 11 नियर एवी मोडल खजुरी खास उत्तरी पूर्वी दिल्ली को नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में प्रयुक्त 07 मोबाइल फोन, 02 कम्प्यूटर, 01 प्रिंटर व व भिन्न-भिन्न प्रकार की अवैध नशीली दवाईयों सहित सैक्टर 01 वसुन्धरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जोगिन्द्र सिंह पुत्र मनवीर सिंह व अंकुश गोयल पुत्र श्री अनिल कुमार उपरोक्त के विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आईटी एक्ट व बीएनएस 2023 अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त जोगिन्द्र सिंह पुत्र मनवीर सिंह व अंकुश गोयल पुत्र श्री अनिल कुमार उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों की एक फर्म OMSI SERVICES है जिसका जीएसटी रजि0 न 09GFWPS0086B1ZX के नाम पर ग्राउंड फ्लोर 01 फ्लैट न0 411 वसुन्धरा गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। जिसमें हमारे यहा पर स्थापित कम्प्यूटर के माध्यम से अपनी वैबसाइट ONLINEHEALTHKART.IN पर नशीली दवाईयों के आर्डर लेते है व ग्राहक को उनके व्हाट्सऐप से सम्पर्क कर सम्बन्धित नशीली दवाईयों के आर्डर को ग्राहक के पते पर कोरियर के माध्यम से भिजवा दिया जाता है। उक्त दवाईयों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो बताया कि हमारे पास उक्त दवाईयों से सम्बन्धित कोई क्रय-विक्रय का लाइसेंस नही है। उक्त दवाईयों का क्रय हमारे द्वारा ट्विंकल / नन्दन फार्मा नई बस्ती गाजियाबाद

वसुन्धरा फार्मेसी सैक्टर-3 वसुन्धरा गाजियाबाद से किया जाता है जिसमे हमारे साथ संदीप गोयल जो इस बिल्डिंग का मालिक है वह भी शामिल है।

उक्त दवाईयों का कोई क्रय अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे विदित है कि अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर ऑनलाइन बिना किसी वैध लाइसेंस प्राप्त किये दवाइयों का भन्डारण व क्रय-विक्रय किया जा रहा है। जिसमें प्रमुख तौर पर स्वापक औषधि व मनः प्रभावि पदार्थ का भन्डारण व क्रय-विक्रय किया जाता पाया गया है। यह भी संज्ञानित हुआ कि उक्त दवाईयों के क्रय-विक्रय से इन लोगों द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके धन अर्जित किया जा रहा है एवं आमजन को बिना चिकित्सक के परामर्श के स्वापक औषधि व मनः प्रभावि पदार्थ दवाईयों का क्रय-विक्रय कर नशे में लिप्त किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. जोगिन्द्र सिंह पुत्र मनवीर सिंह निवासी म0न0 175 गली न0 6 बुध विहार नियर रवि स्कूल के पास थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष।
2. अंकुश गोयल पुत्र श्री अनिल कुमार निवासी ए 1/8ए ब्लाक गली न0 11 नियर एवी मोडल खजुरी खास उत्तरी पूर्वी दिल्ली उम्र 28 वर्ष।

वाँछित का नाम व पता

संदीप गोयल पुत्र अनिल कुमार गोयल निवासी सैक्टर 1 वसुन्धरा।

बरामदगी का विवरण

औषधि का नाम	**मात्रा**	**कुल बजन**
ZOLPIDEM TABLETS	8150 tab	815 gram
PENTAZOCINE INJ	825 x 1ml	825 gram
CLONAZEPAM TAB	600 tab	60 gram
TRAMADOL CAP	5136 cap	2.56 kg
NITRAZEPAM TAB	4100 cap	1.23 kg
ALPRAZOLAM TAB	3600tab	360 gram
DIPHENOXYLATE TAB	5760 tab	288 gram
ESKUF SYRUP	65 X 100 ML	6.5 kg
LORAZEPAM TAB	900 tab	90 gram

- नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में प्रयुक्त 07 मोबाइल फोन, 02 कम्प्यूटर, 01 प्रिंटर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी विदित त्यागी पुत्र कमल त्यागी निवासी सैक्टर-सी-8 ट्रोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि अभियुक्त 1-अब्दुल सलाम पुत्र अहसान अली, 2-आसिफ भाटी उर्फ आसिफ खान पुत्र अब्दुल सलाम निवासीगण दौलत नगर सादाबाद डूंगरावली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा अन्य के साथ मिलकर उप-पंजीयक शाहनगर जिला पन्ना मध्य प्रदेश की फर्जी पावर आफ अटार्नी से भिन्न भिन्न लोगों से पैसे लेकर प्लाट बेच दिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की गई।

तत्पश्चात दिनांक 24.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1.अब्दुल सलाम पुत्र एहसान 2.आसिफ भाटी उर्फ आसिफ खान पुत्र अब्दुल सलाम निवासी गण दौलतनगर सादाबाद डूंगरावली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को दौलत नगर सादाबाद डूंगरावली से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उप-पंजीयक शाहनगर जिला पन्ना मध्य प्रदेश की फर्जी पावर आफ अटार्नी बनवा ली थी और उसी को दिखाकर भिन्न-भिन्न लोगों को प्लाट विक्रय करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.-अब्दुल सलाम पुत्र अहसान अली निवासी दौलत नगर सादाबाद डूंगरावली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 60 बर्ष।

2-आसिफ भाटी उर्फ आसिफ खान पुत्र अब्दुल सलाम निवासी दौलत नगर सादाबाद डूंगरावली थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 35 बर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.04.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी मो0 कासिम पुत्र मो0 फारूक निवासी ए-49 गली नंबर-1 राजीव गांधीनगर, न्यू मुस्तफाबाद दिल्ली द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि वकील पुत्र मो0 हनीफ निवासी प्रसादी मोहल्ला गांव उस्मानपुर दिल्ली के द्वारा अन्य के साथ मिलकर जालसाजी से फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार कर प्लाट विक्रय किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की गई।

तत्पश्चात दिनांक 24.09.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त वकील पुत्र मो0 हनीफ निवासी प्रसादी मोहल्ला गांव उस्मानपुर दिल्ली को गढी कटैया कट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 26/08/2021 को जालसाजी से फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार कर प्लाट विक्रय किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

वकील पुत्र मो हनीफ निवासी प्रसादी मोहल्ला गांव उस्मानपुर दिल्ली, उम्र करीब 38 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले 05 शातिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

दिनांक 24-09-24 को वादी श्री नवीन सिंह निवासी गाजियाबाद ने सूचना दी गयी कि जेराल्ड मैथ्यूज मैशी नाम के व्यक्ति अपने साथीगण के साथ मिलकर सेवा नगर म0नं0 110 में लोगो को प्रोत्साहित कर धर्मान्तरण करा कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर दो टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 25-09-24 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 05 शातिर अभियुक्तगण को सेवानगर में एक घर से गिरफ्तार किया गया, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

(1) जेराल्ड उर्फ गैराल्ड मैथ्यूज मैशी पुत्र स्व0 जॉन फेड्रिक मैशी निवासी इंग्राहम इंस्टीट्यूट नियर हापुड चुंगी थाना कविनगर गा0बाद उम्र करीब 55 वर्ष
(2) रवि कुमार पुत्र स्व0 जगपाल सिंह निवासी म0न0 110 गली न0 4 सेवानगर मेरठ रोड थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र करीब 37 वर्ष
(3) आशीष मसीह पुत्र प्रकाश मसीह निवासी ई-89 सेक्टर-7 राजनगर थाना कविनगर गा0बाद उम्र करीब 33 वर्ष,
(4) रोहन पुत्र सुरेश निवासी गदाना हापुड रोड मोदीनगर थाना मोदीनगर गा0बाद उम्र करीब 27 वर्ष,
(5) दीपक मसीह पुत्र अजय सिंह निवासी गली न0 10 इन्द्रापुरी मोदीनगर थाना मोदीनगर गा0बाद उम्र 33 वर्ष

पूछताछ का विवरण— पूछताछ में अभियुक्त जेराल्ड उर्फ गैराल्ड मैथ्यूज उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 23.07.2024 को मैं अपने साथीगण रवि, आशीष, रोहन व दीपक के साथ मिलकर गरीब व अनपढ लोगो को बीमारी सही करने व कुछ धन देने का लालच देकर उन्हे धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रोत्साहित करते है। आशीष मसीह भी इस काम मे हमारा साथ देते है

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।